न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2020 G.C.M.S. No. 2020/00021 दर्ज दिनांक : 01.01.2020

अपीलार्थिगण:

1. रामाराम पुत्र श्री गेनारामजी उम्र 60 वर्ष जाति रेबारी, निवासी ग्राम धणी, तहसील बाली, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. हिम्मताराम पुत्र मूलारामजी
2. अशोककुमार पुत्र मूलारामजी
3. कमला पुत्री मूलारामजी
4. संगीता पुत्री मूलारामजी
5. पातुदेवी पत्नि मूलारामजी जातिगण मेघवाल, निवासीगण ग्राम धणी, तहसील बाली, जिला पाली।
6. उमाराम पुत्र वजारामजी, जाति राईका, निवासी ग्राम धणी, तहसील बाली, जिला पाली।
7. राजेन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी धणी, तहसील बाली, जिला पाली।
8. ताराचंद पुत्र वरदीचंदजी, जाति सुथार, निवासी बाली, तहसील बाली, जिला पाली।
9. संत जोधारामजी आश्रम अखिल भारतीय जणवा समाज जरिये संरक्षक महंत छोटारामजी महाराज, निवासी दांतीवाड़ा, तहसील बाली, जिला पाली।
10. वंदना पुत्री चुन्नीलाल, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम धणी, तहसील बाली, जिला पाली।
11. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार बाली, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2018 बअनवान हिम्मताराम वगैरह बनाम रामाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019

उपस्थितः–

1. श्री लक्ष्मण के. चौधरी, श्री चेतन आगरी विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, श्री हीरालाल परिहार विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 27.03.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2018 बअनवान हिम्मताराम वगैरह बनाम रामाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि सरहद मौजा ग्राम धणी, तहसील बाली में प्रार्थीगण हिम्मताराम व अन्य खातेदारों की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। जोकि इस प्रकार है कि खसरा नं. 1119 रकबा 1.95 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल खातेदार हिम्मताराम व अन्य, खसरा नं. 1120 रकबा 1.73 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल खातेदार उमाराम, खसरा नं. 1123 रकबा 1.63 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल खातेदार राजेन्द्रसिंह, खसरा नं. 1124 रकबा 1.67 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल खातेदार ताराचंद, खसरा नं. 1125 रकबा 1.43 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल खातेदार संत जोधारामजी आश्रम इत्यादि। उपरोक्त कृषि भूमियों में आने–जाने हेतु प्रार्थीगण हिम्मताराम व अन्य ने खसरा नं. 1126 रकबा 1.56 हैक्टेयर व खसरा नं. 1117 रकबा 1.01 हैक्टेयर किस्म नहरी अव्वल में से रास्ता दिलवाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा पेश आवेदन में वर्णित तथ्य व इस्तुदआ से परे जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 09.12.2019 के द्वारा खसरा नं. 1126 में से 656 वर्गमीटर, ख.नं. 1125 में से 352 वर्गमीटर, ख.नं. 1123 में से 368 वर्गमीटर एवं ख.नं. 1120 में से 400 वर्गमीटर रास्ते हेतु भूमि दिलवाये जाने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जिस आदेश से अपीलाण्ट व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधारों पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है कि प्रार्थीगण ने धारा–251 ए के तहत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आवेदन पेश किया है। वह नियमों एवं विधि के प्रतिकूल पेश किये गये है। क्योंकि प्रार्थीगण की अलग–अलग खाते की खातेदारी कृषि भूमि है, जो राजस्व रेकर्ड नक्शे में भी अलग–अलग खसरों के दर्ज है। प्रत्येक खातेदार को नियमानुसार अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु अलग रास्ता प्राप्त करना होता है एवं प्रत्येक खातेदार को अलग–अलग आवेदन में कौन–कौनसे खसरों से एवं कितनी फीट (चौड़ाई) में उसको रास्ता प्राप्त करना है, उसका उल्लेख स्पष्ट रूप से कानूनी तौर पर करना आवश्यक है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा जो आवेदन पेश किया गया है उसमें प्रार्थीगण ने एक ही आवेदन संयुक्त रूप से अपनी अलग–अलग खातेदारी के सम्बन्ध में रास्ता प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है। जिसमें कितना रास्ता, किस–किस खातेदार से कितनी लम्बाई, चौड़ाई में प्राप्त करना है, उसका कोई उल्लेख नहीं है जो कानूनन आवश्यक व न्यायसंगत था। साथ ही आवेदन में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हों, उसका भी किसी भी रूप से उल्लेख नहीं किया गया। इस कारण उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी का आवेदन प्रथमदृष्टया ही कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

चलने योग्य नहीं था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के आवेदन को नियमविरूद्ध स्वीकार करते हुए रास्ता दिलाने का आदेश पारित किया है। वह आदेश काबिले खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो आवेदन एवं नजरी नक्शा पेश किया, उसमें अनुतोष में खसरा नं. 1117 में से रास्ते की मांग की गई थीं। खसरा नं. 1117 में आगे जो आबादी की भूमि से गै. मु. रास्ता चलता है जो खसरा नं. 922 है, उसके पास में गोचर भूमि से होते हुए खसरा नं. 1117 से मांगा गया है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में खसरा नं. 1117 से कोई रास्ता नहीं दिलवाया है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 2/रेस्पोंडेन्ट सं. 10 वंदना देवी की भूमि से प्रार्थीगण द्वारा कोई रास्ता प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, यह लिखते हुए एक आवेदन दिनांक 10.07.2019 को पेश किया गया था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा पेश मूल आवेदन में इस आवेदन के आधार कोई किसी प्रकार का संशोधन प्रार्थना पत्र न तो लिया एवं न ही मूल प्रार्थना पत्र में कोई संशोधन किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का मूल आवेदन अपूर्ण था। इस तरह अपूर्ण आवेदन पर प्रार्थीगण को कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता था। फिर भी अपीलाधीन आदेश अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा एकतरफा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 में खसरा नं. 1114 जो राजस्व रेकर्ड में गै. मु. रास्ते के रूप में दर्ज है एवं उक्त रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारियों से चिपता हुआ है। उसका रास्ते के रूप में उपयोग–उपभोग किया जा सकता था। उसका उल्लेख नहीं किया एवं गैर मुमकिन रास्ते पर पाल बनी है तो उसको रास्ते के हक तक हटाने हेतु कोई आवेदन किसी सक्षम अधिकारी को प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया। जबकि खसरा नं. 1114 गै.मु. रास्ता वैकल्पिक रास्ते के रूप में प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की नहरी सिंचित कृषि भूमि में से रास्ता दिलवाये जाने का आदेश दिया है, वह आदेश एक कृषक खातेदार के हितों के विपरीत पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी अप्रार्थी की ओर से जो आरोप ऐतराज प्रस्तुत किया गया था, उसमें खसरा नं. 1116, 1119, 1120, 1123 व 1124 जो गै. मु. रास्ता, खसरा नं. 1114 से छिपते हुए स्थित है। उनके पास से रास्ता दिया जा सकता था, जो प्रार्थीगण की ही कृषि भूमि है एवं आबादी के नजदीक तक उपलब्ध है। लेकिन इसके बावजूद भी केवल मात्र अपीलाण्ट की एकमात्र इतनी कम मात्रा में खातेदारी भूमि होते हुए भी उसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से 656 वर्गमीटर रास्ता दिलाने का आदेश किया है, जो अपीलार्थी को उसके हकों से वंचित करने जैसा आदेश दिया है, वह आदेश किसी भी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है। प्रार्थीगण ने आवेदन के साथ में जो नजरी नक्शा पेश किया, जिसमें लाल स्याही से जो प्रस्तावित रास्ता मार्क किया गया है वह खसरा नं. 1126 के सम्बन्ध में रास्ता प्राप्त करने हेतु मार्क नहीं है। जो आवेदन का भाग है ऐसी स्थिति में बिना प्रस्तावित मांग किये उसके विपरीत जा कर केवल मात्र आर.आई. व पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलार्थी की कृषि भूमि में से रास्ता दिलाने का आदेश दिया है, वह किसी भी रूप से न्यायोचित नहीं हो सकता है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 जो तैयार की गई, उस वक्त अप्रार्थी/अपीलार्थी को उपस्थित हेतु कोई विधिपूर्ण नोटिस की सूचना नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में पक्षकारों की अनुपस्थिति में एकतरफा उक्त रिपोर्ट तैयार की गई है। ऐसी रिपोर्ट के आधार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता दिलाने का आदेश दिया गया है, वह भी किसी भी रूप से विधिपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कही भी उल्लेखित नहीं किया कि कौनसे खसरे से कितना फीट चौड़ा, रास्ता दिया गया है। इस कारण भी उक्त अपीलाधीन आदेश अस्पष्ट व अपूर्ण है, जिससे भी उक्त अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उक्त जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 9 द्वारा अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 10 के विरूद्ध ग्राम धणी के खसरा संख्या 1119, 1120, 1123, 1124 व 1125 में पहुंच के लिए रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.12.2019 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलमीमो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण जोकि अलग–अलग जोत के खातेदार है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा संयुक्त रूप से रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में किस जोत तक पहुंच के लिए किन–किन खसरान की आराजी में से कितना रास्ता चाहा गया, इस बाबत कोई अंकन नहीं किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि. खुडाला व पटवारी धणी द्वारा तैयार व दिनांक 22.07.2019 को हस्ताक्षरित मौका फर्द रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा जिसके आधार पर तहसीलदार बाली द्वारा पत्रांक 1659 दिनांक 29.08.2019 को जांच प्रतिवेदन विचारण न्यायालय को प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम तो जांच प्रतिवेदन व मौका रिपोर्ट में किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही मौका रिपोर्ट में संबंधित प्रभावित खातेदारान को सूचित करने के संबंध में कोई अंकन है। अतः उक्त रिपोर्ट प्रथमदृष्टया ग्राह्य नहीं होने से इसके आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण है।

4. पत्रावली पर उपलब्ध खसरा संख्या 1119, 1120, 1123, 1124 व 1125 व इससे लगते अन्य खसरान के भू–नक्शा एवं नजरी नक्शा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1119, 1120, 1123, 1124 खसरा संख्या 1114 गैर मुमकिन रास्ता पर स्थित है। अतः उक्त आराजीयात अभिलिखित रास्ते पर स्थित होने से इनके लिए रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता व अभाव साबित नहीं होता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय व जांच अधिकारी द्वारा कोई जांच व टिप्पणी नहीं की गई हैं। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आज्ञापक विधिक प्रावधानों व प्रक्रियाओं का समुचित परीक्षण किए बिना एवं रास्ते के लिए आत्यांतिक आवश्यकता व अभाव की समुचित जांच किए बिना जबकि जिन जोत के लिए रास्ते की मांग की गई हैं वह पूर्व से अभिलिखित रास्ते पर स्थित है, तथा अभिलिखित रास्ते के पास तालाब की पाल में होने से आवागमन में कठिनाई होना अलग बिंदु है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय बिंदु है कि धारा 251–क के अंतर्गत सुविधा के लिए रास्ते का कोई प्रावधान नहीं हैं। आवेदक 5 खसरान की आराजी के खातेदार है, जिन्होंने सामूहिक रूप से आवेदन किया है। लेकिन प्रत्येक खसरे के लिए न्यूनतम रकबा व निकटतम दूरी के आधार पर अलग–अलग विकल्प होंगे। अतः ऐसी स्थिति में कोई भी एक प्रस्तावित रास्ता सुसंगत नहीं हो सकता। अतः हमारे उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने तथा पुष्टियोग्य नहीं होने व अपील अपीलांट सारवान होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31/2018 बअनवान हिम्मताराम वगैरह बनाम रामाराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 09.12.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner